

19/14

प्ररूप - 1

गेहन/बन्धक/आड़मान/सृजित करने के लिए प्ररूप



हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1979 (1979 का 23) की धारा 12 और 12-अ हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नियम, 1979 के नियम 3 के अधीन किसी कृषि और ग्रामीण बैंक या सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के किसी सदस्य द्वारा स्थायर और जंगम सम्पत्ति पर जिसका वह स्वामी है द्वारा उसके सदस्य को दिए जाने वाले किसी ऋण के सम्बन्ध में सृजित गेहन की बावत की जाने वाली घोषणा का प्ररूप।

हम सब को ज्ञात है कि मैं/हम : 7

1. Sh. Rajinder Kumar पुत्री/विधवा श्री Manohar Singh आयु 49 yrs.
2. _____ पुत्र/पुत्री/विधवा श्री _____ आयु _____
3. _____ पुत्र/पुत्री/विधवा श्री _____ आयु _____
4. _____ पुत्र/पुत्री/विधवा श्री _____ आयु _____
5. _____ पुत्र/पुत्री/विधवा श्री _____ आयु _____

बैंक सदस्यता संख्या ICNRS-1636

निवासी ग्राम Rispa डाकघर Rispa तहसील Moosang
जिला Una हिमाचल प्रदेश स्वयं अथवा द्वारा मुख्तयार

आम श्री _____ पुत्र _____ निवासी ग्राम _____
तहसील _____ जिला _____

जो विलेख पंजीयन संख्या _____ दिनांक _____ की बही संख्या _____

पृष्ठ संख्या _____ पर दर्ज है और _____ और

इस पद के अन्तर्गत जहां पर संदर्भ के अनुसार हो, उसके/उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि, प्रशासक और समनुदेशित जिन्हें दि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सीमित (जिसे इसमें इसके पश्चात् बैंक कहा गया है) की सदस्यता में सीमित दायित्व सहित प्रवेश दिया गया है और बैंक से उधार लेने के इच्छुक है, एतद्-द्वारा घोषित करते हैं और हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1979 (1979 का 23) की धारा 12 और 12-अ के अधीन तथा अपेक्षित, बैंक द्वारा गए ऋण के देय संदाय सभी आगामी अग्रिम जिन्हें ऋण मंजूरी आदेश में दिए गए निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर लेना स्वीकार करते हैं।

ऋण का उद्देश्य Apple Grading & Packing House + Machine

अवधि 7 yrs. ब्याज दर 16%
मैं/हम अधिकतर राशि केवल \$ 700000/- (शब्दों में Seven Lacs only) रुपये के अध्यक्षीन ऐसी ऋण राशि और अग्रिम पर

ब्याज सहित बैंक के पक्ष में अनुसूचित में वर्णित स्थावर और जंगम वीनों सम्पत्तियों पर गेहन का सृजन करते हैं।

उक्त उधार लेने वाला/उधार लेने वाले एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि वह वे गहन सम्पत्ति से सुस्पष्ट हक रखता हूँ/रखते हैं हक विलेख के विवरण में दर्ज वर्ष 2008-2009 के अनुसार अभिधारी के रूप में मूघृति की स्थिरता के हकदार रहते हुए सम्पत्ति को धारित करता हूँ/करते हैं और आगे हक हित न रहने पर या अन्यथा के कारण हुई किसी हानि या क्षति की पूर्ति करने के लिए आगे प्रसविदा करते हैं अपने आपको इसे निमित वचनबद्ध करते हैं।

Signature
MANAGER
THE H.P. S. CO-OP. AGR.
& RURAL DEV. BANK LTD.
98 12/11/08

Executant


8
77
9
0

AL

MAC

दि. 17... गौत बुद्धि विद्यालय कक्षा 10/11 पर
सांविधिकी शुद्धीकरण... रूप से वापिस 0

850



उप निदेशिका
मुरग जिला शिक्षा

पेश कर्ता



आदेश

वर्षिका का दिनांक 9-7-14
सदानुसार शाका पूरक... समय 3
हरे को श्री. 21/07/14 को...
दुध/पुत्री/विद्या...
पाम... रिस्पी... सहस्रील मुरग जिला...
दिय... प्रदेश ने हमारे कार्यालय मे धाकर
होकर बराय पञ्जीकरण प्रस्तुत किया।


उप निदेशिका
मुरग जिला शिक्षा

हास रस

परीक्षा

कुछास जो सुनाया तब
बची - गोजन सिंह
उपमाया गया। फिर ने जो सुनाया
उफम भी सुनाया गया।
पिया न त भी सुनाया।
ने सुनाया।
विद्ये ने स्वयं प...
रा संकीर्ण किया वाद है।

गोजन

गोजन

गोजन

गोजन

गोजन

गोजन

हास रस

गोजन

गोजन

गोजन

पेश कर्ता
K...

गोजन
उप पंजीकरण
सूचना विभाग

गोजन

गोजन

गोजन

प्रमाणित किया जाता है कि पेश कर्ता, प्राप्त
करी गवाहन व शिनायत करी है।
नामन हस्ताक्षर किया।

गोजन
उप पंजीकरण
सूचना विभाग

पिपान जगुकिता के परा कती

पुमानित किता ओता ए नि उपरान्त
जगुकिता के निमान के साता लोमान जम।



एप पजिकयथा
मुरंग जिम किर्ना

पुमानित
परीका... किताव न०... १९/१४ पर पंजीकृत
के सफा... ४ पर पुमान न०... १९/१४ पर पंजीकृत
पर प्रतिलिपि जगुकिता न०... १९/१४ पर पंजीकृत
सफा... ४ पर प्रतिलिपि की गई।
१०१ ९



एप पजिकयथा
मुरंग जिम किर्ना